पत्रांक– 3490 / आयु0कर,उत्तराखण्ड / धारा–57 अनु0 / वाणि0कर / 2016–17 / दे0दून

कार्यालयः– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(धारा–57 अनुभाग)
देहरादूनः दिनांक : 02, सितम्बर, 2016

प्रार्थना पत्र संख्या	–	01 / 2016–17
द्वारा	–	सर्वश्री एशियन पेन्ट्स लि0, एच0सी0एल0 कम्पाउंड, निरंजनपुर, देहरादून। टिन नं0– 05000817056
उपस्थिति	–	श्री दीपक रावत, अधिवक्ता
निर्णय का दिनांक	–	01.09.2016

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र सर्वश्री एशियन पेन्ट्स लि0, एच0सी0एल0 कम्पाउंड, निरंजनपुर, देहरादून द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें Wood preservatives products पर करदेयता स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, देहरादून संभाग, देहरादून अतिरिक्त प्रभार ऋषिकेश सम्भाग, ऋषिकेश का मत प्राप्त किया गया। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / प्रवर्तन) द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत किसी वस्तु विशेष के वर्गीकरण के सम्बन्ध में उक्त वस्तु का सामान्य प्रयोग देखा जाता है। Insecticides का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है जबकि Wood preservatives products जो Wood को dampness/moisture इत्यादि से भी बचाता है, को Insecticides नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार Wood preservatives products के किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत न होने के आधार पर उक्त पर अवर्गीकृत की भांति अर्थात 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होने का उल्लेख प्रेषित आख्या में किया गया है।

धारा–57 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रेषित नोटिस के अनुपालन में अधिवक्ता फर्म श्री दीपक रावत ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि उनके द्वारा "Asian Paints Wood Tech Termishield" के Brand Name से Wood preservatives product का विक्रय किया जाता है। कहा कि उक्त उत्पाद सेन्ट्रल एक्साइज चैप्टर हैडिंग 3808 में Insecticide के अन्तर्गत वर्गीकृत है। आगे कहा गया कि इस उत्पाद को Termite/borers के Infestations से Wooden Furniture को बचाने हेतु उक्त पर ब्रश अथवा स्प्रे के माध्यम से Apply किया जाता है। कहा कि इस उत्पाद को व्यवसायिक भाग में भी Insecticide माना जाता है एंव माननीय CESTAT द्वारा सर्वश्री इण्डस्ट्रीयल आर्गेनिक कॉर्पोरेशन लि0 तथा सर्वश्री एलोरा सर्विसेज के मामले में दिये गये निर्णयों में यह उल्लेख किया गया है कि केवल Insecticide Act 1968 के अन्तर्गत आने वाले वस्तु ही Insecticide के रूप में वर्गीकृत नहीं होगी। यह तर्क भी दिया गया कि प्रश्नगत उत्पाद Termite/borers से लकड़ी का बचाव कर उक्त की आयु बढ़ाता है। इस प्रकार इस Wood preservatives product के उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 की अनुसूची 2(बी) के क्रमांक–27 पर निहित प्रविष्टि के अन्तर्गत आने का उल्लेख करते हुए उक्त पर 5 प्रतिशत की दर से करदेयता होने का उल्लेख किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, सुनवाई के समय दिये गये तर्कों एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, देहरादून संभाग, देहरादून अतिरिक्त प्रभार ऋषिकेश सम्भाग, ऋषिकेश द्वारा प्रेषित आख्या पर विचार किया गया। आवेदक द्वारा "Asian Paints Wood Tech Termishield" ds Brand Name से विक्रीत Wood preservatives product पर कर की दर निर्धारित किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची II(B) के क्रमांक–27 पर निहित प्रविष्टि अवलोकनीय है जो कि निम्न प्रकार हैः–

क्रमशः पेज–2

"Chemical fertilizers, Micronutrients & plant growth promoters/regulators & their herbicides, rodenticide, insecticides, weedicides and pesticides."

उपरोक्त प्रविष्टि के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रविष्टि से कृषि/वनस्पति उपज से सम्बन्धित insecticide ही आच्छादित हो सकते हैं जबकि प्रश्नगत उत्पाद का उपयोग कीटनाशक के रूप में न करके Wood preservative के तौर पर किया जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि इस उत्पाद के Insecticide Act 1968 की किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत न होने के कारण किसी लाईसेन्स की आवश्यकता नहीं है। आवेदक द्वारा मा0 CESTAT के जो निर्णय जो अपने पक्ष में उद्धृत किये गये हैं वह सेन्ट्रल एक्साइज टैरिफ के परिपेक्ष्य में दिये गये होने के कारण उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 के सन्दर्भ में प्रासंगिक नहीं हैं। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 के अन्तर्गत वस्तुओं पर करदेयता HSN CODE से Linked नहीं है, अतः वस्तुओं के सामान्य प्रयोग के आधार पर ही करदेयता निर्धारित की जा सकती है। Wood preservatives product को न तो सामान्य प्रयोग की दृष्टि से एवं न ही व्यवसायिक भाग में ही कीटनाशक समझा जाता है। इसके अतिरिक्त यह उत्पाद कृषि/वनस्पति उपज से सम्बन्धित व्यापार स्थलों पर प्राप्त न होकर पेन्ट/वार्निस से सम्बन्धित व्यापार स्थल पर ही प्राप्त होता है एवं बाजार में कीटनाशकों की मांग किये जाने पर किसी भी व्यौहारी द्वारा यह उत्पाद क्रेता को नहीं दिया जायेगा। इस प्रकार Wood preservatives product को Insecticide नहीं माना जा सकता है, तद्नुसार इस उत्पाद के उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 के अनुसूची 2(बी) के क्रमांक–27 एवं अन्य किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत न होने के कारण इस पर कर की दर 13.5 प्रतिशत होना अवधारित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजी जाए।

(रणवीर सिंह चौहान)
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 3490/दिनांक : उक्त ।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रूद्रपुर जोन।
4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार/रूड़की/काशीपुर बाजपुर/रूद्रपुर/खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थअधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
6– डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर एवं web Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
7– असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड–3, काशीपुर।
8– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।
9– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
10– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
11– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
12– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।